F-4216-II/12

(136)

1. शिवदयाल तनय पिरू अहिरवार
2. सुखलाल तनय पिरू अहिरवार
3. जीवन तनय पिरू अहिरवार
4. भगवानदास तनय पिरू अहिरवार
5. मनोज तनय पिरू अहिरवार
6. कस्तूरी पत्नि शिवदयाल अहिरवार
7. ज्ञानवती पत्नि सुखलाल अहिरवार
8. मोहनदेवी पत्नि जीवन अहिरवार
9. उर्मिला पत्नि भगवानदास अहिरवार

सभी निबासी ग्राम पठारी तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) .... निगराकारगण

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह तनय बृभान राजपूत (फौत)
2. सीताराम तनय बृषभान राजपूत
3. भूपत सिंह तनय बृषभान राजपूत
4. भरत सिंह तनय बृषभान राजपूत

सभी निबासीयान ग्राम पठारी तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) ...... प्रतिनिगराकारगण

निगरानी प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के निगरानी प्रकरण क्रमांक 239/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2012 के विरूद्ध। निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अतर्गत

महोदय,

निगराकारकर की विनय सादर निम्न है–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ का प्रकरण क्रमाक 239/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2012 विधिविधान एवं वाक्यात पत्रावली के विरूद्ध है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एसडीओ निवाडी के यहॉ लगाये गये शपथपत्र का अवलोकन नही किया गया जबकि निगराकारगणों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के न्यायालय में म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के प्रकरण क्र./100/अपील/2010–11 में पारित

क्रमशः...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी-4216-दो/2012** जिला टीकमगढ़

शिवदयाल विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 239/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05-11-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 07/3/19 सदस्य	